


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला-ग्वालियर

(म0प्र0)

R 676-7-17



लाल जी सिंह तनय केशव लाल सिंह सा0 पहाड़ी तहसील सिहावल

जिला-सीधी म0प्र0-

आवेदक

बनाम

श्रीलाल सिंह तनय केशव लाल सिंह सा0 पहाड़ी तहसील सिहावल
जिला-सीधी म0प्र0

पदुम सिंह तनय केशव लाल सिंह सा0 पहाड़ी तहसील सिहावल
जिला-सीधी म0प्र0

अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा
32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध
आदेश दिनांक-22.12.2016 द्वारा प्रदीप
सिंह चौहान नायब तहसीलदार सिहावल
तहसील सिहावल के न्यायालय मे लंबित
प्रकरण क्र. 77/अ-27/2016-17 व
उन्मान लालजी सिंह विरुद्ध श्रीलाल सिंह
वगैरह

मान्यवर,

निवेदन है कि निम्न तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र

प्रस्तुत है :-

1- यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे बंटवारा फर्द


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(34)

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/676/2012/सीएच

बालसिंह/श्री लाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
01-1-19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>योगेन्द्र सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार <u>सिंहावल</u> के प्रकरण क्रमांक <u>77/अ-27/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>22/12/16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीएच</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>18-1-19</u> को कलेक्टर जिला <u>सीएच</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	

